

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)उन्नाव।

उपस्थित :-अलका यादव.....उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा।

दीवानी वाद संख्या-260 / 2017

सी0एन0आर0 नं0-UPUN050005812017

श्रीमती चन्द्रवती उम्र 53 वर्ष पत्नी रामबरन यादव निवासी ग्राम दादूखेड़ा मजरा छिर्यौटीकुर
परगना मौरावाँ तहसील पुरवा

ज़िला उन्नाव.....वादिनी

---बनाम---

1- रामकुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण बंशी निवासी ग्राम कालूखेड़ा

2- देशराज उम्र 45 वर्ष परगना मौरावा तहसील पुरवा

ज़िला उन्नाव.....प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा।

निर्णय

वादिनी श्रीमती चन्द्रावती की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा स्थायी निषेधाज्ञा का संस्थित किया गया है।

वादिनी के वाद पत्र में संक्षेप में कथन इस प्रकार है, कि भूमि सं0 202 रकबा 0.6760 हे0 स्थित ग्राम कालूखेड़ा परगना मौरावाँ तहसील पुरवा जिला उन्नाव के मालिक व काबिज प्रतिवादीगण के पिता बंशी थे। प्रतिवादीगण अपने पिता व माता के कानूनी एवं जायज वारिस हैं। प्रतिवादीगण की माता श्रीमती इन्द्राना का भी देहान्त हो चुका है। उपरोक्त भूमि से कालूखेड़ा असोहा पक्की सड़क निकल गई तो भूमि संख्या 202 रकबा 0.6760 हे0 दो भागो में विभक्त हो गया। प्रतिवादी के पिता दोनों भागो यानी सड़क के उत्तर तथा दक्षिण तरफ पर मालिक व काबिज रहे। प्रतिवादीगण के पिता बंशी को अपनी निजी जरूरत के लिए रूपयों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपनी भूमि 202 के जुज भाग जो कालूखेड़ा का था डामर रोड के दोनों किनारे के भागों को बेचने हेतु प्लॉटिंग किया और उसमें प्लॉट कायम किये। प्लॉटों को बेचने की बात गाँवों में चलाई तो वादिनी ने एक प्लॉट जिसका रकबा 77 वर्ग गज

है का सौदा प्रतिवादीगण के पिता से तय हो गया और उन्होंने बैनामा में अंकित प्लॉट जिसे वादिनी ने खरीदा था का पूरा प्रतिफल वादिनी से गवाहान के समक्ष प्राप्त करके उसका बैनामा दिनांक 22.06.1993 को लिखकर उसका पंजीकरण सबरजिस्ट्रार कार्यालय पुरवा जिला उन्नाव में करा दिया था और कब्जा व दखल विक्रीत प्लॉट पर बैनामा के दिनांक को ही प्रतिवादीगण के पिता ने वादिनी को दे दिया था और बैनामा के बाद वादिनी ने अपने द्वारा कय किये गये प्लॉट पर चार दुकानों का निर्माण करा दिया था, तब से वादिनी अपने बैनामा वाले भूभाग व उस पर निर्मित दुकानों की वादिनी मालिक व काबिज है। दुकानों में वादिनी के नाम से बिजली का कनेक्शन है, वादिनी ने अपने द्वारा कय किये गये प्लॉट के ऊपर प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल में दुकानों का निर्माण वादिनी ने करा दिया था। इस प्रकार प्रतिवादीगण को उनके पिता द्वारा किये गये बैनामा की पूरी जानकारी शुरू से है। वादिनी ने अपने वादपत्र के साथ भूमि संख्या 202 का एक नक्शा नजरी संलग्न किया है। भूमि नं0 202 को क, ख, ग, घ से प्रकट किया गया है। वादिनी ने प्रश्नगत प्लॉट पर स्थित दुकानों से कोई वास्ता या सरोकार प्रतिवादीगण से नहीं है। प्रतिवादीगण भूमाफिया के बहकावे में आ कर के वादिनी के प्लॉट उपरोक्त का दो बार बैनामा करके उसे बेच देना चाहते हैं। प्रतिवादीगणों से इलाके के कुछ भूमाफियाओं ने उनका नाम भूमि नं0 202 में दर्ज होने के कारण भूमि नं0 202 को अच्छी कीमत दे करके वादिनी के प्लॉट व उस पर कायम वादिनी की दुकानों सहित भूमि नं0 202 को खरीद लेने की बात कह रहे हैं। वादिनी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण वादिनी के प्लॉट व उस पर स्थित वादिनी की दुकानों सहित सम्पूर्ण भूमि नं0 202 को बेच देना चाहते हैं तो वादिनी दिनांक 04.12.2017 को प्रतिवादीगण के पास गई और उनसे अपने प्लॉट की भूमि जो उनके पिता द्वारा वादिनी के हक में बेच करके बैनामा करा दिया गया था को छोड़कर बेचने की बात कही तो उन्होंने वादिनी की उक्त बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और भूमि नं0 202 में स्थित वादिनी के प्लॉट व उस पर स्थित मकान व दुकानों पर स्वयं कब्जा कर लेने को कहा और कहा कि यदि कब्जा नहीं करने दोगे तब से उसे किसी दबंग को बेच देने की वादिनी को ऐलानिया तौर पर प्रतिवादीगण ने धमकी दिया। दिनांक 04.12.2017 को प्रतिवादीगण वादिनी के प्लॉट व उस पर निर्मित दुकानों पर आये और उस कब्जा करना चाहा तो उस समय सफल नहीं हो पाये तो उन्होंने वादिनी के प्लॉट के उस रकबे को भी जो प्रतिवादीगण के पिता बंशी वादिनी के हक में बेच करके बैनामा तहरीर कर दिया था जिस पर वादिनी की दुकान बैनामा के बाद से ही कायम है को भी बेच देने का ऐलानियाँ तौर पर धमकी दिया बहद ग्राम कालूखेड़ा परगना मौरावाँ तहसील पुरवा जिला उन्नाव श्रीमान जी की न्यायसीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ।

प्रतिवादी सं0 2 के उपस्थित न आने के कारण दिनांक 17.07.2018 को वाद की कार्यवाही उसके विरुद्ध एकपक्षीय अग्रसारित की गयी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाबदावा 70क प्रस्तुत कर वादी के कुछ कथनों को स्वीकार एवं कुछ कथनों को इंकार करते हुए अपने

विशेष उत्तर में यह कथन किया गया है कि भूमि सं0 202 रकबा 0.6760 हे0 के मालिक प्रतिवादी मुजीब के पिता बंशी पुत्र लछिमन थे और भूमि सं0 202 में बीचो-बीच से जब कालूखेड़ा असोहा राजमार्ग निकल गया जिसके कारण भूमि सं0 202 के दो भाग हो गये एक सड़क के उत्तर हो गया तथा दूसरा दक्षिण। प्रतिवादी मुजीब के पिता ने दोनों भागों पर प्लाट कायम किये और उन प्लाटों को विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया जिनमें से प्रश्नगत प्लाट का बैनामा दिनांक 22.06.1993 को वादिनी के हक में करके और वादिनी से पूरा प्रतिफल प्राप्त करके उसका पंजीकरण करा दिया था और कब्जा व दखल वादिनी को प्रतिवादी मुजीब के पिता वाले प्लाट पर निर्माण करा लिया था। जिसपर वादिनी बतौर मालिक व काबिज चली आ रही है। प्रतिवादी मुजीब व उसके भाई व माता को पिता द्वारा किये गये बैनामा दिनांकित 22.06.1993 की पूरी जानकारी रही मुझ प्रतिवादी के माता व पिता का दोनों का देहान्त हो चुका है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वादिनी ने दावा कुछ गलतफहमी में दायर किया है। प्रतिवादी मुजीब को दावा डिग्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि प्रश्नगत प्लाट बैनामा वादिनी के हक में प्लाट की पूरी कीमत ले करके मुझ प्रतिवादी के पिता ने प्रतिवादी मुजीब की जानकारी में किया है और वादिनी ने बैनामा वाले प्लाट पर दुकाने बनाकर काबिज व दखील है जिससे प्रतिवादी मुजीब को कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाये।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न लिखित वाद बिन्दु दिनांक 22.10.2019 को विरचित किये गये:-

- 1- क्या वादिनी वादग्रस्त दुकानों की मालिक काबिज है?
- 2- क्या वादिनी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है?
- 3- क्या अदा किया गया न्याय शुल्क सही है?
- 4- वादिनी किस अनुतोष को पाने की अधिकारी है?

वादिनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 9ग से कागज सं0 10ग/1 ता 10ग/6 असल बैनामा दिनांकित 22.10.1993, प्रदर्श क-1, कागज सं0 12ग इन्तखाब खतौनी भूमि नं0 202 ग्राम कालूखेड़ा तथा कागज सं0 13ग छायाप्रति नक्शा जिल्द चकबन्दी ग्राम कालूखेड़ा पर0 मौरावाँ तह0 पूरवा, सूची 48ग/1 से कागज सं0 48/2 छायाप्रति मृत्यु प्रमाण-पत्र गवाह गंगाधर, सूची 55ग/1 से कागज सं0 55ग/2 ता 55ग/10 नकल जवाबदावा दीवानी वाद सं0 287/2017 राजबहादुर बनाम रामकुमार आदि दाखिल किया गया है। मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0-1 श्रीमती चन्द्रावती, पी0डब्लू0-2 देशराज, पी0डब्लू0-3 देवीदीन तथा पी0डब्लू0-4 रामबरन के साक्ष्य शपथ-पत्र दाखिल किए गये हैं।

प्रतिवादी सं० 1 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी प्रपत्र दाखिल नहीं किये गये हैं। मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०-1 रामकुमार व डी०डब्लू०-2 गंगा प्रसाद के साक्ष्य शपथ-पत्र दाखिल किये गये हैं।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-1

वाद बिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वादिनी वादग्रस्त दुकानों की मालिक काबिज है?

यह वाद बिन्दु वादिनी के अभिवचनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार वादिनी पर है।

वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित प्लाट को उसने भूमि सं० 202 रकबा 0.6760 हे० स्थित ग्राम कालूखेड़ा परगना मौरावाँ तहसील पुरवा जिला उन्नाव के मालिक व काबिज प्रतिवादीगण के पिता बंशी पुत्र लछिमन से क्रय किया था। बंशी पुत्र लछिमन की मृत्यु हो चुकी है। उनके कानूनी एवं जायज वारिस प्रतिवादीगण हैं। प्रतिवादीगण की माता श्रीमती इन्द्राना की भी मृत्यु हो चुकी है। चूंकि उक्त भूमि सं० 202 रकबा 0.6760 हे० के मध्य से सड़क निकल गयी थी जिससे उक्त भूमि सं० 202 रकबा 0.6760 दो भाग में विभक्त हो गयी। बंशी पुत्र लछिमन ने अपनी निजी जरूरत के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि सं० 202 के जुज भाग पर सड़क के दोनों किनारे के भागों को बेचने हेतु प्लॉटिंग किया और उसमें प्लाट कायम किए, तब वादिनी ने एक प्लाट जिसका रकबा 77 वर्ग गज है का सौदा प्रतिवादीगण के पिता से तय किया और उक्त भूमि का बैनामा में अंकित पूरा प्रतिफल समक्ष गवाहान विक्रेता बंशी पुत्र लछिमन को प्रदान कर बैनामा दिनांक 22.06.1993 पंजीकृत कराया और उसी दिनांक को कब्जा व दखल वादिनी को प्राप्त हो गया। बाद बैनामा वादिनी ने उक्त प्लाट पर चार दुकानों का निर्माण कराया और उसपर तब से काबिज दखील चली आ रही है। प्रतिवादीगण को बैनामों की पूरी जानकारी शुरू से रही है। प्रतिवादीगण भूमाफियाओं के बहकावे में आकर उक्त प्लाट दर्शित नक्शा नजरी वाद पत्र अक्षर ग1,ग2,ग3,ग4 विक्रय कर देना चाहते हैं तथा इसी आशय से स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गयी और इस आशय की धमकी दी गयी कि जबरिया कब्जा करके वादिनी को बेदखल कर देंगे, तब वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के बावत प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी सं० 1 द्वारा अपनी जवाबदेही में वादिनी द्वारा वाद पत्र

में किये गये कुछ तथ्यों को स्वीकार किया तथा कुछ तथ्यों से इंकार करते हुए कथन किया है कि वादिनी का बैनामा दिनांकित 22.06.1993 के भाग को भूमाफियाओं के बहकावे में आकर के दोबारा बेचने का कथन गलत है। प्रतिवादी व वादिनी के मध्य कुछ आपसी विवाद उत्पन्न हो गये थे, जिससे वादिनी ने गलतफहमी में दावा दायर किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादिनी के किये गये शेष कथनों को स्वीकार किया गया है, साथ ही अपने पिता द्वारा वादिनी के पक्ष में दिनांक 22.06.1993 को पूर्ण प्रतिफल लेकर समक्ष गवाहान बैनामा पंजीकृत किया जाना स्वीकार किया है। पक्षों के मध्य कुछ विवाद उत्पन्न होने के आधार पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद दाखिल किया जाना कहा गया है।

वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में सूची 9ग से दाखिल मूल बैनामा प्रदर्शक-1 की ओर दौरान बहस ध्यान आकृष्ट कराया गया। उक्त बैनामें में मु0 7,000/-रु0 प्रतिफल प्राप्त कर समक्ष गवाहान दिनांक 22.06.1993 को पंजीकृत कराया गया है। बैनामें के दिनांक से कब्जा व दखल क्रेती को प्रदान कर दिया गया, तब से वादिनी द्वारा उक्त क़य किये गये प्लाट पर दुकानों का निर्माण कराकर कब्जा व दखल बरकरार है।

इस सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादिनी बतौर पी0डब्लू0-1 साक्षी के रूप में परीक्षित हुई है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र 39क के माध्यम से वाद पत्र में किये गये अपने कथनों की पूर्णतः पुष्टि की गयी है। प्रतिवादी द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी, जिरह में भी साक्षी द्वारा यही कथन किया गया है कि गवाह रामबरन एवं गंगाधर ने वादिनी के समक्ष अपने हस्ताक्षर बनाये थे उसके उपरान्त बैनामा रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश किया गया था। उसके पश्चात् वादिनी द्वारा प्लाट पर चार दुकानों का निर्माण भी कराया गया।

इसी प्रकार का कथन पी0डब्लू0-2 साक्षी देशराज पुत्र दयाशंकर द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षी ने भी अपना शपथ-पत्र बतौर साक्ष्य कागज सं0 44क में वादिनी के वाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है तथा जिरह में भी उक्त साक्षी द्वारा वादग्रस्त प्लाट को जरिये पंजीकृत बैनामा बंशी पुत्र लछिमन से वादिनी द्वारा क़य किया जाना बादहू उसपर चार दुकानों का निर्माण कराकर शन्तिपूर्ण ढंग से काबिज दखील चले आना कहा गया है।

इसी प्रकार पी0डब्लू0-3 साक्षी द्वारा भी अपना शपथ-पत्र साक्ष्य 45क प्रस्तुत कर वादिनी के वाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया गया है तथा जिरह में भी 77 वर्ग गज प्लाट वादिनी द्वारा मय चौहद्दी क़य किया जाना साबित किया है।

पी0डब्लू0-4 साक्षी रामबरन यादव पुत्र बसन्त लाल जो कि बैनामा दिनांकित 22.06.1993 के हासिया गवाह हैं, की ओर से अपना शपथ-पत्र साक्ष्य 90क प्रस्तुत कर वादिनी

के पक्ष में बंशी पुत्र लछिमन द्वारा 77 वर्ग गज का प्लॉट जो की भूमि सं० 202 में स्थित था के सम्बन्ध में स्वयं के समक्ष बैनामा निस्पादित किये जाने का कथन किया गया है। जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि कथित प्लॉट 7,000/—रु० में खरीदा गया था। बैनामा का प्रतिफल इस साक्षी व दूसरे गवाह गंगाधर पुत्र ननकऊ के सामने श्रीमती चन्द्रावती द्वारा बंशी पुत्र लछिमन को अदा किया गया था। उसके पश्चात् बैनामा निस्पादित किया गया था। बैनामा लिखने के बाद गवाहों एवं विक्रेता को पढ़कर सुनाया गया था। बैनामे पर स्वयं इस साक्षी ने अपना हस्ताक्षर बनाया जाना स्वीकार किया है तथा अपने समक्ष बंशी पुत्र लछिमन एवं गंगाधर के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना भी स्वीकार किया गया है। उसके उपरान्त बैनामा रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया गया था। इस साक्षी द्वारा विक्रित प्लॉट की चौहद्दी भी वहीं बतायी गयी है, जो वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित की गयी है।

बैनामा के दूसरे गवाह गंगाधर की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी द्वारा उक्त गवाह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, अपितु मृतक गंगाधर का मृत्यु प्रमाण—पत्र सूची 48ग/1 से कागज सं० 48ग/2 प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०—1 स्वयं रामकुमार प्रतिवादी सं० 1 का शपथ—पत्र 93क प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इस साक्षी द्वारा अपनी जवाबदेही में किये गये कथनों का समर्थन किया गया है। साक्षी से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपने पिता द्वारा वादिनी के पक्ष में बैनामा निस्पादित किया जाना स्वीकार किया गया है। इस साक्षी को मूल बैनामा प्रदर्शक—1 कागज सं० 10ग/1 तथा 10ग/6 को दिखाया गया है। जिसे देखकर साक्षी ने कहा यह असल बैनामा वही है जिसके बंशी ने चन्द्रावती के हक में लिखा था। बैनामे के प्रथम पेज में लगे फोटो चित्र को देखकर साक्षी ने अपने पिता बंशी के होने की पुष्टि किया तथा बैनामे के प्रत्येक पेज के हासिए पर बने हस्ताक्षर को देखकर उसे अपने पिता के होने की पुष्टि की तथा यह भी स्वीकार किया कि उनके पिता बंशी ने अपने दोनों लड़कों राम कुमार व देशराज तथा पत्नी की जानकारी में बैनामा किया था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बैनामे के बाद चन्द्रावती वादिनी ने दुकान बना ली हैं और चन्द्रावती का उसपर कब्जा है।

इसी प्रकार डी०डब्लू०—2 साक्षी गंगाप्रसाद द्वारा अपना साक्ष्य शपथ—पत्र 94क प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी द्वारा भी अपनी जिरह में बंशी पुत्र लछिमन को जानने पहचानने का कथन किया है तथा बैनामे पर लगे बंशी की फोटो की पहचान भी इस साक्षी द्वारा की गयी है तथा यह भी कथन किया गया है कि बैनामे के पश्चात् वादिनी ने उसपर अपनी दुकाने आदि बनाकर अपना कब्जा दखल बनाये हुये है।

इस प्रकार वादिनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा प्रतिवादी सं० 1 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण

के पिता बंशी पुत्र लछिमन द्वारा अपनी भूमि सं0 202 रकबा 0.6760 हे0 में से 77 वर्ग गज का प्लॉट वादिनी के हक में प्रतिफल मु0 7,000/-रु0 लेकर समक्ष गवाहान बैनामा निस्पादित किया था। बैनामे के दिनांक से ही विक्रेता द्वारा वादिनी को उक्त प्लॉट पर कब्जा व दखल भी प्रदान कर दिया गया। बैनामे के पश्चात् वादिनी द्वारा स्वीकृत रूप से क्रय किये गये प्लॉट पर चार दुकानों का निर्माण कराया गया और उक्त दुकानों पर वादिनी का ही कब्जा दखल है। ऐसे में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन से वादिनी वादग्रस्त दुकान की मालिक काबिज होना पायी जाती है। तदनुसार वाद बिन्दु सं0 1 वादिनी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0-2 एवं 3

वाद बिन्दु सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है? तथा वाद बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अदा किया गया न्याय शुल्क सही है?

उपरोक्त दोनों ही वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनो पर विरचित किये गये हैं। दोनों ही वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया जा चुका है। आदेश दिनांकित 01.11.2019 इस निर्णय का अंग होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0-4

वाद बिन्दु सं0 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि वादिनी किस अनुतोष को पाने की अधिकारी है?

प्रस्तुत वाद बिन्दु अनुतोष के सम्बन्ध में है। यह वाद बिन्दु वाद बिन्दु सं0 1 के निष्कर्ष पर पूर्णतः निर्भर करता है। उपरोक्त वाद बिन्दु सं0 1 के निस्तारण से यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि वादिनी ने प्रतिवादीगण के पिता बंशी पुत्र लछिमन से भूमि सं0 202 रकबा 0.6760 हे0 में से 77 वर्ग गज प्लॉट का पंजीकृत बैनामा निस्पादित कराया था। उसके पश्चात् उसके द्वारा उक्त प्लॉट पर चार दुकानों का निर्माण कराकर काबिज दखील है। अतः वादिनी वाद पत्र में मांगे गये अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारी है। वादिनी का वाद सव्यय डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद सव्यय डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि भूमि सं0 202 रकबा 0.6760 हे0 स्थित ग्राम कालूखेड़ा परगना मौरावाँ तहसील पुरवा जिला उन्नाव में बंशी द्वारा वादिनी के हक में किया गया बैनामा दिनांकित 22.06.1993, जो बही सं0 1 के जिल्द सं0 629 के पृष्ठ सं0 205/206 दस्तावेज नम्बर 2949 दि0 12.08.1993 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय पुरवा उन्नाव में रजिस्ट्रीकृत है, में

अंकित रकबा 77 वर्ग गज व उस पर स्थित वादिनी की दुकानों पर जबरिया कब्जा न करे और न ही उसका किसी भी व्यक्ति के हक में विक्रयपत्र, हिबानामा करके अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उसे हस्तान्तरित न करें।

दिनांक-04.03.2020

(अलका यादव)

सिविल जज (सी0डि0),उन्नाव।

आई0डी0 नं0- UP1620

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-04.03.2020

(अलका यादव)

सिविल जज (सी0डि0),उन्नाव।

आई0डी0 नं0- UP1620

